न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 648/2006
ज्ञान सिंह बनाम श्रीराम आदि

23.02.2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 79क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 79क2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम की मृत्यु दिनांक 02.12.2017 को हो गई है। उनके कानूनी वारिस उनके पुत्र रामशंकर हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के स्थान पर उनके पुत्र को वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 79क2 प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम की मृत्यु दिनांक 02.12.2017 को दौरान मुकदमा होने के फलस्वरूप वादपत्र में वरासत कार्यवाही किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं अन्दरमियाद है। प्रस्तावित वारिस रामशंकर ने प्रार्थनापत्र 81ग के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम की मृत्यु की सूचना न्यायालय में दिया हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने से वाद के निस्तारण में सहूलियत होगी एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 79क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 79क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 24.03.2018 को पेश हो।

.

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती